न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –82/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
कल्याण सिंह पुत्र नारायण गोद पुत्र हजारीराम, जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम नेणियां तहसील परबतसर जिला नागौर		1. तहसीलदार परबतसर, जिला नागौर। 2. सुवटी पत्नि नारायण जाति रावणा राजपूत 3. भंवरसिह पुत्र नारायण जाति रावणा राजपूत 4. रामअवतार पुत्र नारायण जाति रावणा राजपूत 5. महेन्द्र पुत्र नारायण जाति रावणा राजपूत 6. मंजूकंवर पुत्री नारायण जाति रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम नेणियां तहसील परबतसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट्स की ओर से वकील श्री रामकिशोर मुण्डेल।
2. रेस्पोडेन्ट सख्या–1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दन सिंह आचीणा व रेस्पोडेन्ट सख्या–4 ओर से वकील हरदेवराम।

निर्णय दिनांक : 05-09-2018

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम नेणियां तहसील परबतसर का म्यूटेशन संख्या 49 जो तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 30.06.2016 को अस्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 22.08.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या–2,3,5 व 6 बावजूद सम्मन तामील प्रकरण की सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि लायक अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी के भाई के पुत्र गोपाल ने स्वर्गीय नारायण गोद पुत्र हजारीराम के वारिसान एवं विधिक उतराधिकारीगण के नाम एवं मृत्यु की दिनांक की सूचना देने पर धारा 135 (1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में म्यूटेशन संख्या 49 दर्ज कर लम्बे समय तक विचाराधीन रखते हुए दिनांक 30.06.2016 को तहसीलदार परबतसर द्वारा म्यूटेशन खारिज कर दिया, जिसकी जानकारी सर्वप्रथम प्रार्थी को होने पर दिनांक 16.08.2016 को नकल का आवेदन पत्र देकर नकल प्राप्त की एवं अपील के लिए विधिक जानकारी प्राप्त कर अपीलांट ने दिनांक 20.08.2016 एवं 21.08.2016 की छुट्टियो के तुरंत बाद ही यह अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की है, जिसे गुणावगुण पर सुनवाई हेतु दर्ज की जाकर मेरिट पर निर्णय किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए प्रार्थी की मूल अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया है।

नागौर (राजस्थान)

राजपैरोकार ने वकिल अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी /अपीलान्ट द्वारा अपील मयाद बाहर पेश की है इसलिए प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर न्यायहित में सहानूभूमि पूर्वक विचार किया गया। अपीलार्थी के मयाद प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित पाते है। अतः अपीलान्ट की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया की प्रकरण में सह खातेदार नारायण गोद हजारीराम कौम रावणा राजपूत निवासी ग्राम नेणियां में हाल खसरा नंबर 343 रकबा 1.3000 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 344 रकबा 1.9100 हैक्टयर किस्म भूमि बारानी–2 की कुल 3.2100 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्टान संख्या 2 से 6 के सह खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्तकार रहा। नारायण गोद पुत्र हजारीराम का देहान्त दिनांक 29.11.2012 को गांव नेणियां में बीमार होने पर राजकीय चिकित्सालय परबतसर में प्राकृतिक मृत्यु हो गई, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नारायण के पौत्र ने नगरपालिका मण्डल परबतसर में सूचना देकर जारी करवा दिया एवं दूसरी तरफ गोपाल द्वारा स्थानीय एएनएम को नारायण की मृत्यु का कहने पर ग्राम पंचायत नेणियां द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में दिनांक 29.11.2012 का मृत्यु प्रमाण पत्र है। नारायण जायन्दा पुत्र जीवणसिंह था, जिसके एक भाई सीताराम रहा, नारायण को हजारीराम के गोद बाल्यावस्था में दे दिया, जिससे राजस्व रेकर्ड में नाम नारायण गोद पुत्र हजारीराम कौम रावणा राजूपत दर्ज होता रहा। नारायण के फौत होने पर विरासत का म्यूटेशन संख्या 49 का पटवारी हल्का नेणियां द्वारा दिनांक 16.09.2015 को दर्ज कर निर्णय हेतु पेश किया, जिसकी जांच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक रोहिण्डी द्वारा दिनांक 30.09.2015 को अंकित कर नारायण गोद पुत्र हजारीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया। तत्पश्चात पटवारी हल्का नेणियां द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक रोहिण्डी द्वारा अपेक्षित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत दिनांक 28.06.2016 को किया गया। दिनांक 30.06.2016 को जांच की नारायण गोद पुत्र हजारीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर म्यूटेशन प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार परबतसर द्वारा दर्शाया कि "खातेदार स्वर्गीय नारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र दो अलग अलग जगह के पेश किये, जिसमे नारायण के पिता का नाम ग्राम पंचायत से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में जीवणसिंह दर्ज हैं एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परबतसर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में हजारीराम अंकित हैं, मृत खातेदार नारायण किसका पुत्र है, स्पष्ट नहीं है, जिससे नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता है" दर्ज कर म्यूटेशन संख्या 49 दिनांक 30.06.2016 को खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना कर तथा अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही म्यूटेशन संख्या 49 दिनांक 30.06.2016 को खारिज करने में प्राकृतिक न्याय की अवहेलना करने से आदेश दिनांक 30.06.2016 का काबिल अपास्त किये जाने के है।

लायक अदालत मातहत ने म्यूटेशन संख्या 49 दिनांक 16.09.2015 ग्राम नेणियां की प्रविष्टि के बाद कभी भी सूचना पत्र देकर स्वर्गीय नारायण गोद पुत्र हजारीराम के वारिसान की सूची अथवा नारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र लिखित में कोई सूचना तक नहीं दी, जिससे म्यूटेशन संख्या 49 पौशीदा तौर पर एकतरफा कार्यवाही की तारीफ में आता है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा खातेदार की मृत्यु होने पर सूचना मिलने पर प्रकिया में तथ्यो की

जानकारी होने पर जांच नही की, ना ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 को लिखित में जांच खोलकर सूचना पत्र जारी कर मृत्यु प्रमाण पत्र नारायण का तथा नारायण के उतराधिकारियो के नाम की जानकारी बाबत जांच नही की है। तहसीलदार परबतसर ने इंतकाल तस्दीक में स्पष्ट रुप से क्षेत्राधिकार का उल्लंघन और दुरुपयोग किया है, इसलिए भी ग्राम नेणियां का म्यूटेशन संख्या 49 दिनांक 30.06.2016 का अपास्त किये जाने के है।

लायक अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का नेणियां ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टान संख्या 2 से 6 स्वर्गीय नारायण के उतराधिकारी होने की प्रविष्टी म्यूटेशन संख्या 49 में किया जाने के बाद दिनांक 30.09.2015 को भू अभिलेख निरीक्षक रोहिण्डी द्वारा स्वर्गीय नारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया एवं अपीलांट के भाई के पुत्र गोपाल द्वारा स्वर्गीय नारायण गोद पुत्र हजारीराम का मुत्यु प्रमाण पत्र परबतसर में मृत्यु दिनांक 29.11.2012 को हो जाने का प्रस्तुत किया एवं गोपाल द्वारा एएनएम नेणियां को कहने पर ग्राम पंचायत नेणियां द्वारा पटवारी हल्का को भेज दिया, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमति सुवटी को होने पर ग्राम पंचायत नेणियां का निरस्त करवा दिया एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.11.2012 का नगरपालिका परबतसर का वैद्य मानकर तहसीलदार जी के समक्ष प्रस्तुत भी किया एवं स्वर्गीय नारायण के विधिक उताराधिकारी अपीलांट व रेस्पोडन्टान संख्या 2 से 6 होने की सूचना भी दी, फिर भी लायक अदालत मातहत ने म्यूटेशन खारिज करने में अवैधता की है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर स्वर्गीय नारायण गोद पुत्र हजारीराम के नाम खातेदारी के खेताय खसरा नंबर 343, 344 में विधिक उताराधिकारियो का नाम दर्ज करने की आज्ञा दी जाना न्यायोचित है।

स्वर्गीय नारायण जायन्दा पुत्र जीवणसिंह का था तथा बाल्यावस्था में ही हजारीराम के गोद चले जाने से राजस्व रेकर्ड में हजारीराम के खेताय में नाम खातेदारी अधिकार में भी नारायण गोद पुत्र हजारीराग दर्ज होता रहा, जिसके गलत होने की किसी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं की, ना ही आपति हैं, फिर भी नगरपालिका परबतसर के मृत्यु प्रमाण पत्र में वल्दीयत नारायण की सही होते हुए भी नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय की भूल है। इसलिए भी अपील स्वीकार कर म्यूटेशन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुऐ अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम नेणियां तहसील परबतसर के हाल खसरा नंबर 343, 344 के खातेदारी हक इन्द्राज जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्थापित प्रविष्टि में अपीलांट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 से 6 के नाम नारायण गोद पुत्र हजारीराम के स्थान पर स्थापित किये जाने की आज्ञा दी जाने एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका परबतरसर को सही मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 49 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 तहसीलदार परबतसर का अपास्त किया जाकर वैध म्यूटेशन अपील अनुतोष अनुसार किया जाने हेतु पत्रावली रिमाण्ड किया जाने की आज्ञा करने का निवेदन किया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे(9)2002 पेज नंबर 108 एवं आरबीजे(8)2000 पेज नंबर 476 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकील श्री हरदेवराग (रेस्पोडेन्ट संख्या–4) ने वकील अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुए म्यूटेशन जैर अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 को निरस्त कर अपीलान्ट की इस्तदुआ अनुसार प्रकरण तहसीलदार परबतसर को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया की हस्तगत प्रकरण में खातेदार स्व. नारायण का मृत्यू प्रमाण पत्र दो अलग–अलग के पेश किये गये है, जिसमें नारायण के पिता का नाम ग्राम पंचायत से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में जीवणसिंह दर्ज एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परबतसर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में हजारीराम अंकित होने से मृत खातेदार किसका पुत्र है स्पष्ट नहीं होने से तहसीलदार, परबतसर द्वारा म्यूटेशन जैर अपील अस्वीकृत किया गया है। परन्तु वकील अपीलान्ट

द्वारा ग्राम नेणिया के खसरा नम्बर 343 व 344 की जगाबन्दी संवत 2066 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें काश्तकारों के नाम में नारायण गोद हजारीराम के नाम का भी अंकन है। इसलिए तहसीलदार परबतसर को उक्त खसरा 343 व 344 के खातेदारी नारायण गोद हजारीराम की मृत्यू के संबंध में प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्रों के संबंध में आवश्यक जॉच कर संबंधित पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार परबतसर को रिमाण्ड किया जा सकता है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार परबतसर द्वारा खातेदार स्व0 नारायण का मृत्यू प्रमाण पत्र दो अलग–अलग जगह के पेश किये जाने से जिसमें नारायण के पिता का नाम ग्राम पंचायत से जारी मृत्यू प्रमाण पत्र में जीवण सिंह दर्ज होने एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परबतसर द्वारा जारी मृत्यू प्रमाण पत्र में हजारीराम अंकित होने से मृत खातेदार नारायण किसका पुत्र है स्पष्ट नहीं होना मानकर म्यूटेशन जैर अपील दिनांक 30.6.2016 को निरस्त किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्व0 नारायण पुत्र जीवणसिंह गोद हजारीराम की मृत्यू दिनांक 29.11.2012 को होना जाने एवं नारायण सिंह पुत्र जीवणसिंह एवं नारायण पुत्र हजारीराम एक ही व्यक्ति होना तथा ग्राम पंचायत नेणिया से जारी प्रमाण पत्र को निरस्त समझा जाने एवं नगर पालिका परबतसर से जारी प्रमाण पत्र नारायण पुत्र हजारीराम सही होने का कथन किया है। किसी खातेदार के फौत हो जाने पर उसकी फौतगी एवं उसके विधिक वारिसान की आवश्यक जॉच के उपरान्त फौत खातेदार के स्थान पर उसके विधिक वारिसान के नामों का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने के प्रावधान है, परन्तु तहसीलदार परबतसर ने उपरोक्तानुसार दो मृत्यू प्रमाण पत्र होने के आधार उनके संबंध में विधि अनुसार आवश्यक जॉच किये बिना ही म्यूटेशन जैर अपील दिनांक 30.06.2016 अस्वीकृत कर दिया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार परबतसर को रिगाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार परबतसर द्वारा म्यूटेशन जैर अपील पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जाता है। मामला तहसीलदार परबतसर को प्रतिप्रेषित कर हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील से संबंधित खातेदार के फौत होने एवं खातेदार की फौतगी की स्थिति में उसके विधिक वारिसान के संबंध विधि अनुसार आवश्यक जॉच कर संबंधित पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर यथाशीघ्र पुनः नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं। तहसीलदार परबतसर को उनका मूल म्यूटेशन लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर